

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

विधि शिक्षण एवं शोध विभाग

निःशुल्क विधिक सेवा व विधिक सलाह

विधिक सहायता का उद्देश्य

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के विधि शिक्षण एवं शोध विभाग में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जानी है।

विधिक सेवा व विधिक सलाह का अर्थ :-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय जनों को निःशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तर्ज पर स्थापित प्राथमिक विधिक सेवा केंद्र। यह केंद्र स्थानीय व्यक्तियों को विधिक सलाह, विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं इसमें विधि विद्यालय एवं विधि महाविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाला लीगल एड क्लीनिक शामिल है।

विधिक सहायता एवं सेवा के लिए समिति सदस्य

डॉ.मोना पुरोहित	9425359366
नितेश एन डैनियल	7987244074
डॉ.ओ.पी तिवारी (रिटायर्ड जज)	9425176264
डॉ.आरुषि गौड़ चौहान	9424084408
सबा नाजनीन	8871732946
अभिनेष कुमार जैन	9589350523
रजनी श्रीवास्तव	7999776816
अपराजिता श्रीवास्तव	9158680971
आशुतोष शर्मा -	7049064200
स्वराज शुक्ला -	7354311489
सार्थक जैन	9827888843

स्थान : विधि शिक्षण एवं शोध विभाग
दिन : सभी कार्यालयीन दिवस
समय : 12:00 से 1:00pm

2. किन-किन न्यायालय में विधिक सेवा दी जा सकती है।

सभी प्रकार के न्यायालयों में विधिक सेवा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता दी जा सकती है।

1. कौन-कौन व्यक्ति सेवा/ विधिक सलाह पाने के हकदार हैं।

वह व्यक्ति जो ,

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2. जो मानव दुर्योगहार से या बेकार से सताया गया है,
3. कोई महिला या बालक हो या
4. कोई निरयोग्य व्यक्ति हो(अंधापन, कमज़ोर दिखाई देना, कुष्ठ रोगी, कम सुनाई देना, चलने फिरने में असमर्थ, मानसिक अस्वस्थता या दुर्बलता)
5. जो बहुविनाश, जाति हिंसा या जाति अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ सूखा आदि से पीड़ित हो,
6. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार हो,
7. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी हो,
8. ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्ष भर की आमदनी 1,00,000 से ज्यादा ना हो,

3. लीगल एड क्लिनिक में नियुक्त व्यक्ति :-

रिटायर्ड जजेस, एलुमलाई मेंबर्स अनुभवी पैनल लॉयर एवं प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर द्वारा निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है इस विधिक सहायता क्लीनिक में पीड़ित व्यक्ति कानूनी जानकारी एवं निशुल्क सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क विधिक सलाह व सहायता प्राप्त कर सकते हैं

5. लीगल एड क्लीनिक के कार्य:-

लीगल एड क्लीनिक आमजन की समस्याओं को निपटाने के लिए एकल खिड़की के तर्ज पर कार्य करेगा जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे-

- 1.आवश्यक कानूनी सलाह देना
2. याचिका नोटिस एवं अन्य फॉर्म भरने में सहायता देना
3. शासकीय विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आमजन को आवश्यक सहायता प्रदान करना
4. विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु परिचय पत्र बनवाने में सहयोग करना
5. पीड़ित एवं अक्षम व्यक्तियों को लीगल एड क्लीनिक मे पहुंचाने में सहायता करना
- 6 विधिक सहायता एवं सलाह योजना का प्रचार प्रसार करना

विधि शिक्षण एवं शोध विभाग भोपाल
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल,